बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

—: संकल्प :—

सं0सं0 यो0स्था03 / 2—22 / 2021 / यो0वि0,पटना दिनांक अप्रैल, 2025

श्री आशुतोष कुमार सिन्हा, सेवानिवृत उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय एवं जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापन की अवधि में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय में सरकार द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशों, विभागीय मार्गदर्शिका तथा बिहार वित्त नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन की प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने संबंधी प्रतिवेदन सी0ए0जी0 की कंडिका—3.1 (मार्च, 2015 को समाप्त हुए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) में अंकित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित किया गया।

सी0ए0जी0 से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित अनियमितता के संबंध में विभाग द्वारा गठित त्रि—सदस्यीय जाँच दल द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन में श्री आशुतोष कुमार सिन्हा को उनके जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय एवं दरभंगा के पद पर पदस्थापन की अवधि में हुई अनियमितता के लिए दोषी प्रतिवेदित किया गया। सी0ए0जी0 से प्राप्त प्रतिवेदन तथा जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप—पत्र पर उनसे एक पक्ष के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—17(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा आरोपों की सम्यक जाँच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्न 5 (पाँच) आरोप गठित किये गए :—

(i) श्री आशुतोष कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय एवं दरभंगा के द्वारा बेगूसराय एवं दरभंगा जिलों में पदस्थापन की अवधि में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय में अनियमितता बरतते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

(ii) श्री सिन्हा द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय ब्रेडा के माध्यम से न कर पूर्व के जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा निविदित दर 1,75,000 / — रूपये प्रति सोलर स्ट्रीट लाईट को आधार मानते हुए बेगूसराय तथा दरभंगा में जिला योजना पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्यादेश निर्गत करते हुए सरकारी राशि के आधिक्य व्यय द्वारा सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गई।

(iii) श्री सिन्हा द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापन की अवधि में ब्रेडा द्वारा निर्धारित दर से 2.83 गुणा अधिक दर पर सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय कर प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर विभागीय दिशानिर्देश तथा बिहार वित्त नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

(iv) सी0ए0जी0 के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय में बरती गयी अनियमितता के संबंध में मार्च, 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के जिला योजना कार्यालय, बेगूसराय में पदस्थापन की अवधि में 1.31 करोड़ रूपये के अधिक व्यय के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग बताया गया है।

(v) श्री सिन्हा के द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय तथा दरभंगा के पद पर पदस्थापन की अवधि में सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय में प्रत्येक स्तर पर विभागीय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता करते हुए राज्य के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

उपरोक्त गठित आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–18(3) के तहत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री आशुतोष कुमार सिन्हा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई। तदोपरांत उनके द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक 31.05.2023 को विभाग को समर्पित किया गया।

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप, उपलब्ध साक्ष्य, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत श्री आशुतोष कुमार सिन्हा, अपने जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय एवं जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापन की अवधि में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन में बरती गई अनियमितता के लिए दोषी पाए गए।

उक्त के आलोक में श्री आशुतोष कुमार सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–14(vii) के तहत कालमान वेतन स्तर लेवल–12 के वर्त्तमान प्रक्रम 1,15,800.00 (एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ) रूपये से पाँच प्रक्रम निम्नतर 99,800.00 (निन्यानवे हजार आठ सौ) रूपये पर स्थायी रूप से अवनति किए जाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री सिन्हा के पत्रांक शून्य दिनांक 24.05.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा उक्त आरोपों के संदर्भ में कंडिकावार अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन अंकित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–14(vii) के तहत कालमान वेतन स्तर लेवल–12 के वर्त्तमान प्रक्रम 1,15,800.00 (एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ) रूपये से पाँच

प्रक्रम निम्नतर 99,800.00 (निन्यानवे हजार आठ सौ) रूपये पर स्थायी रूप से अवनति किए जाने का अधिरोपित दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री आशुतोष कुमार सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों को सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रविश किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था03/2–22/2021 /यो0वि0,पटना दिनांक अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री आशुतोष कुमार सिन्हा, सेवानिवृत उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना पता–साईं इनकलैब अपार्टमेंट, ब्लॉक–डी, 301, ओशोपुर, विजय सिंह यादव पथ, दानापुर खगौल रोड, डाकघर–दानापुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना, पिन कोड–801105, (मो0 नं0–9431284271) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था03/2–22/2021–1962 /यो0वि0,पटना दिनांक 05 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.4.25
सरकार के संयुक्त सचिव

આદ. ટર્ડ નું વૈદ્યાં